

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
वित्त भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ।

चल/अचल सम्पत्ति क्रय करने हेतु अनुमति

1. विक्रेता का नाम, पता तथा व्यवसाय:
2. क्रेता एवं विक्रेता के मध्य सम्पत्ति को:
- निश्चित की गई कीमत।
3. सम्पत्ति क्रय करने हेतु धनराशि का स्रोत:
4. क्या क्रय किसी प्रसिद्ध अथवा स्थायी:
- अधिकृत विक्रेता/आढतिया के माध्यम से
प्रस्तावित है यदि हाँ, तो अधिकृत विक्रेता/
आढतिया का पत्र संलग्न करें।
5. सम्पत्ति का विस्तृत विवरण:
6. प्रमाण पत्र कि प्रार्थी का विक्रेता से कोई:
- प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष विभागीय सम्बन्ध
नहीं है।

(परिादादेश संख्या-4774-जी०एम०/राविप-III-75-ए/72
दिनांक 12.10.1976 द्वारा निर्धारित)

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

अनुभाग: